मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 683/801/2020/A-16 भोपाल, दिनांक 27/08/2020

प्रति,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषयः–म.प्र. के मूल निवासी प्रवासी श्रमिक, जो 01 मार्च 2020 या उसके उपरांत मध्यप्रदेश लौटे हैं एवं 27 मई से 06 जून 2020 के मध्य चले अभियान में पंजीयन से छूट गए हैं, उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन सुविधा पुनः उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भः–श्रम विभाग का परिपत्र क्रमांक 321/पीएस/लेबर/2020 दिनांक 24.05.2020, 26.05.2020, 05.06.2020 एवं 06.06.2020

विषयांतर्गत कृपया संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो। म.प्र. के मूल निवासी श्रमिक, जो प्रदेश के बाहर कार्यरत (नियोजित) रहे हैं तथा 01 मार्च 2020 या उसके उपरांत म.प्र. में लौटे हैं, के सर्वे, सत्यापन तथा पंजीयन हेतु 27 मई से 06 जून 2020 के मध्य अभियान चलाया गया था। राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि 27 मई 2020 से 06 जून 2020 के मध्य चले अभियान में विभिन्न कारणों से कतिप्य प्रवासी श्रमिक "रोजगार सेतु" पोर्टल पर अपना पंजीयन नहीं करा सके हैं।

2. इस प्रकार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन से वंचित रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अवसर प्रदाय करते हुए दिनांक 07 सितंबर 2020 से 11 सितंबर 2020 तक 05 दिवस की अवधि हेतु प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन की सुविधा रोजगार सेतु पोर्टल पर उपलब्ध करायी जा रही है।

3. अतः यदि जिले में उक्तानुसार कोई प्रवासी श्रमिक रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन से छूट गया हो तो जनपद पंचायतों/नगरीय निकायों द्वारा ऐसे प्रवासी श्रमिकों को सूचीबद्ध करते हुए कलेक्टर के माध्यम से इस आशय का सत्यापन कराया जायेगा कि ये श्रमिक 01 मार्च 2020 के पश्चात ही अन्य राज्यों से जिले में वापस लौटे हैं तथा पूर्व अभियान के दौरान इनका पंजीयन रोजगार सेतु पोर्टल पर नहीं हो सका था। सूचिकरण एवं सत्यापन की यह कार्यवाही 26 अगस्त, 2020 से प्रारंभ होकर 05 सितंबर, 2020 तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

4. इस प्रकार बिन्दु क्रमांक 03 की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत संबंधित निकाय द्वारा निर्धारित अवधि में अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जाये। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

27.8.20

(उमाकान्त उमराव)
प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, श्रम विभाग

Scanned with CamScanner

क्रमांक 684/801/2020/A-16 भोपाल, दिनांक 27/08/2020

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. श्री आई.सी.पी. केशरी, प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम एवं अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, भोपाल को आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जाने हेतु।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवासविभाग, भोपाल को आवश्यक निर्देश प्रसारित किए जाने हेतु।
6. विशेष सहायक, मान. श्रम मंत्री जी, म.प्र. शासन, भोपाल।
7. श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर।
8. आयुक्त, जनसम्पर्कविभाग, म.प्र. की ओरआवश्यक प्रचार–प्रसारहेतु।
9. श्री सुनील जैन, डायरेक्टर, एन.आय.सी., म.प्र., भोपाल (9425609696) की ओर दिनांक 07 से 11 सितम्बर 2020 के मध्य प्रवासी श्रमिकों के पुनः पंजीयन हेतु रोजगार सेतु पोर्टल संचालित करने बाबत।
10. समस्त संभाग आयुक्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाहीहेतु।
12. समस्त आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, श्रम विभाग

Scanned with CamScanner